

न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला-अजमेर (राज.)

स्थान सरकार जरिये

राजस्व प्रकरण संख्या १/२०१९

पटवारी हल्का कानपुरा

बनाम श्री गणपत/बरदा, रावन
निवासी कुशलपुरा

भू राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ एल.आर.एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक : १५-०१-२०१९

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी अनुपस्थित । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का कानपुरा द्वारा संवत् २०२८ में ग्राम कुशलपुरा

की सरकारी भूमि खसरा नम्बर ११४७ कुल रकबा ५२-०९-० किस्म गे.सु.२ में से रकबा ०-५-० भूमि पर अप्रार्थी श्री गणपत पुत्र बरदा

जाति रावन निवासी कुशलपुरा द्वारा नाजायज गन्ना व बाँदा

कर लिये जाने की भू राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ एल.आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण भू राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ एल.आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक १५-०१-२०१९ को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया ।

अप्रार्थी नोटिस के जवाब में नियत पेशी दिनांक को अनुपस्थित रहा । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहा । अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । भूमि नियमन योग्य नहीं है ।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहा । भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है एवं अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है । अतः अप्रार्थी गणपत पुत्र बरदा जाति रावन निवासी कुशलपुरा को भूमि ग्राम कुशलपुरा के खसरा नम्बर ११४७ रकबा ५२-०९-० किस्म गे.सु.२ में से रकबा ०-५-० भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे/काश्त के लिये अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान ०.०२ का पचास गुना १५ रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल को जब्त सरकार कर नीलामी की जावे । आदेश की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक १५-०१-२०१९ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया

गणपत शर्मा द्वारा लिखवाया गया ।

MI DUAL CAMERA

2019/1/15 तहसीलदार मसूदा 58

